BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

भारत की जनजातीय वन अर्थव्यवस्था में आय अर्जित करने के नए रास्तों का निर्माण

14 नवंबर 2026

भारत की 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातियों में से कई अपनी वार्षिक आय का 20-40 प्रतिशत लघु वन उपज (एमएफपी) से प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी इस उपज को बिचौलियों को काफी कम कीमतों पर बेचते थे, जो अपने स्वयं के श्रम की लागत से भी कम होते थे। इसे हल करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) चलाती है। यह मिशन आदिवासियों को समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में संगठित करता है, जो उन्हें कच्चे उत्पाद विक्रेताओं से मूल्य वर्धित उद्यमियों में बदलता है। मार्च 2026 तक, 4,172 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनसे 12.48 लाख आदिवासी सदस्य जुड़े हैं।सरकार लघु वन उपज को पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भी खरीदती है। पीएमजेवीएम एंटरप्राइज फंडिंग प्रदान करता है और आदिवासियों को मेलों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजारों तक पहुंचने में मदद करता है।

जनजातीय गौरव दिवस

जनजातीय कार्य मंत्रालय देशभर में 1 से 15 नवंबर 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है, जिसका समापन 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के साथ होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था।

यह पखवाड़ा मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को गति देने और उनके लाभ जनजातीय परिवारों तक अंतिम छोर तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित एक समयबद्ध विशेष अभियान है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिनमें 228 परियोजनाएँ उद्घाटन और 74 परियोजनाएँ शिलान्यास के लिए तैयार हैं।

*इस अवसर पर दो राष्ट्रीय डिजिटल पहल, जन-हित पोर्टल और राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम (**FRA**) डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 160 से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।*

और पढ़ें: जनजातीय गौरव पखवाड़ा 2026: जनजातीय विरासत के सम्मान, समुदायों के सशक्तीकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी आयोजन

जनजातीय वन अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करना

लाखों वनवासी आदिवासी परिवारों के लिए, शहद, तेंदू के पत्ते, महुआ के फूल, इमली, लाख, बांस और जंगली जड़ी-बूटियों जैसे लघु वन उपज (एमएफपी) केवल एक वन संसाधन नहीं हैं। यह आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। उनकी वार्षिक आय का लगभग 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत लघु वन उपज बेचने से होता है। लघु वन उपजों की सीधे खरीद और बिक्री के बावजूद, आदिवासियों को इसके बाजार मूल्य का केवल एक अंश ही मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर बिचौलियों को कम कीमतों पर लघु वन उपज बेचते हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। 2021-22 में शुरू यह मिशन नई तकनीक और प्रथाओं में आदिवासियों को कुशल बनाकर लघु वन उपजों के मूल्य में सुधार करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। यह योजना समुदायों को बड़े राष्ट्रीय और डिजिटल बाजारों से जोड़ती है ताकि उन्हें अपनी उपजों को अधिक प्रदर्शित करने और अधिक उत्पाद बेचने में मदद मिल सके। यह आदिवासियों से सीधे उपज खरीदकर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी भी देता है।

ये प्रयास जमीनी स्तर पर भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए वन संग्रहकर्ताओं को अपने सामुदायिक उद्यमों के मालिक बनने में मदद कर रहे हैं।

लघु वन उत्पाद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार वन पर्यावरण और वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए देश के अधिकांश जंगलों का प्रबंधन करती है और आदिवासियों तथा अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों को उनकी आजीविका के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान की जाती है।



2006 में, सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम लागू किया। इसे वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में लघु वन उपज को "बांस, *ब्रश लकड़ी, स्टंप, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियों, जड़ों, कंद और इसी तरह के पौधों की उत्पत्ति के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है*। सरकार ने पीएमजेवीएम के तहत 87 लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया है।

वन अधिकार अधिनियम मानता है कि वनवासी समुदाय ऐतिहासिक रूप से भरण-पोषण और आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर रहे हैं। यह अधिनियम आदिवासियों को गैर-लकड़ी लघु वन उपजों की खरीद और बिक्री करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (1996) के प्रावधान जनजातीय ग्राम पंचायतों को लघु वन उपजों पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास का अधिकार दिया गया है। यह उत्पाद के बाजार मूल्य की परवाह किए बिना पूर्व-निर्धारित मूल्य पर गैर-लकड़ी वन उपज खरीदता है। यह आदिवासी विकास सहकारी समितियां और वन विकास निगम जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से ऐसा करता है। 2013-14 से राज्य सरकारों ने इस योजना के तहत, 693.98 करोड़ रुपये मूल्य के 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वन उपजों की खरीद की है|



पीएमजेवीएम आदिवासियों की मदद कैसे करता है?

एमएसपी पर खरीद के अलावा, पीवीजेएम योजना आदिवासियों को कौशल, तकनीकी, विपणन और ढांचागत सहायता भी प्रदान करती है।

आदिवासियों को वन धन विकास केंद्रों में संगठित करना

यह मिशन आदिवासी संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करता है। लगभग 300 आदिवासियों वाले 15 स्वयं सहायता समूहों के एक समूह को एक साथ वन धन

विकास केंद्र (वीडीवीके) से जोड़ा गया है। वन धन विकास केंद्र के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदायों से होने चाहिए।

14 अप्रैल, 2018 को शुरू की गई वन धन योजना पीएमजेवीएम का एक हिस्सा है। यह वीडीवीके मॉडल की नींव बनाता है और जनजातीय समुदायों में इसके कार्यान्वयन की शक्ति प्रदान करता है।

कौशल, वित्त पोषण और तकनीकी सहायता

सरकार वन धन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) में वैज्ञानिक फसल कटाई पद्धतियों पर प्रशिक्षण सहित एमएफपी संग्रहकर्ताओं के लिए कौशल और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) *को निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:*

1. लाभार्थी के घर या सरकारी या ग्राम पंचायत भवन में अवसंरचनात्मक सहायता।
2. प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण - स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वन उपजों के आधार पर काटने और छानने के उपकरण, डिकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकेजिंग उपकरण।
3. 30 सदस्यों को टिकाऊ कटाई और मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण, कच्चे माल और प्रशिक्षु किट प्रदान किए जाते हैं।
4. वित्तीय संस्थानों, बैंकों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) से जोड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करना।
5. किराये के आधार पर भंडारण और परिवहन सहायता।

विपणन और व्यवसाय में मदद

मूल्यवर्धन के अलावा, वन धन विकास केंद्र अंतिम उत्पादों के लिए स्थानीय और दूर दोनों तरह के बाजार जुड़ाव केंद्र भी हैं।

1. वनधन विकास केंद्र प्राथमिक लघु वन उपजों खरीद बिंदुओं स्थानीय हाट बाजारों के आसपास स्थापित किए जाते हैं, ताकि आदिवासियों के लिए अपने उत्पादों को बेचना आसान हो सके।
 - आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से अधिक हाट हैं।
 - इन हाटों का स्थायी संरचनाओं, भंडारण, पीने का पानी, छाया और वजन उपकरण के साथ चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
2. वन धन विकास केंद्र अपने उत्पादों के मूल्यवर्धन या विपणन के लिए निजी संस्थाओं या गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सकते हैं।
3. ट्राइफेड वीडीवीके को दैनिक दरों और ई-कॉमर्स के अवसरों सहित बाजार की खुफिया जानकारी का प्रसार करता है ताकि वे बेहतर तरीके से अपने हित में व्यावसायिक सौदों पर निर्णय ले सकें।
4. पीएमजेवीएम यह भी प्रदान करता है:
 - त्योहारों, प्रदर्शनियों और कारीगर मेलों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार और विज्ञापन
 - वीडीवीके और अन्य योजना परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग
 - जनजातीय उपज के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई उन उत्पादों को बताने का एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति है और जिनके उस मूल के कारण अपने खास गुण या पहचान हैं)
 - आईटी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण और उन्नयन
 - अनुसंधान और विकास सहायता

पीएमजेवीएम योजना के तहत:

1. 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और 2,911 वनधन विकास केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिनकी बिक्री लगभग 168 करोड़ रुपये (31 जुलाई, 2026 तक) हुई है।

2. 12.48 लाख जनजातीय सदस्यों को वन धन विकास केंद्रों से जोड़ा गया है।



वन धन विकास केंद्र जनजातीय महिला सशक्तिकरण में मदद करते हैं

वन उपजों का अधिकांश संग्रह और बिक्री महिलाएं करती हैं जिससे पीएमजेवीएम आदिवासी महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का एक प्रमुख साधन बन जाता है।

अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में न्यगामाने, हो योर्बे, मेदुमहगदुम वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना अक्टूबर 2021 में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 300 महिला सदस्यों और किसानों के साथ की गई थी। यह वीडीवीके स्थानीय रूप से उपलब्ध गैर-लकड़ी वन और कृषि उपज को प्रसाधित, विपणन योग्य वस्तुओं में परिवर्तित करता है। इसके बनाए गए उत्पाद हैं:

- *किंग चिली का अचार* (भूत जोलोकिया – पूर्वोत्तर की भारतीय विशेषता)
- *बांस की टहनियों से बना अचार* (पूर्वोत्तर भारत का एक आम वन उपज)
- *स्थानीय रूप से उगाई गई हल्दी से बना हल्दी* पाउडर
- *स्थानीय रूप से उगाए गए अदरक से* अदरक पाउडर

- *अनानास जैम* (अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में)
- *अनानास* स्क्वैश
- ऑरेंज स्क्वैश

वन धन विकास केंद्रों ने 2022-23 से 11 लाख रुपये मूल्य के इन उत्पादों की बिक्री की है। इसने महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिन्हें अब पूरे वर्ष आय के लिए केवल मौसमी कृषि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं संयुक्त रूप से व्यवसाय की मालकिन हैं - वे केवल श्रमिक नहीं हैं, बल्कि ब्रांड और उद्यम में भी उनकी हिस्सेदारी है।

एक सतत वन अर्थव्यवस्था की ओर

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) गैर-लकड़ी वन उपज के उत्पादन और विपणन के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करते हुए वनवासी आदिवासियों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है। ये उत्पाद स्थानीय रूप से खट्टे हैं और पारंपरिक प्रथाओं में निहित हैं। ये वन उपज एक वन-आधारित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ सामुदायिक स्वामित्व को संतुलित करते हैं।

बड़े पैमाने पर निर्मित और प्लास्टिक-पैक किए गए सामानों से बड़ी तेजी से संचालित इस दुनिया में ये वन उपज प्राकृतिक, समुदाय-स्वामित्व वाली और वन-जनित हैं जो भारत की विशिष्ट पेशकश हैं। पीएमजेवीएम *सबका साथ, सबका विकास का प्रतीक है*- जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत की विकास गाथा इसके सबसे दूरदराज के जंगलों और उन समुदायों तक पहुंचे जो उन्हें अपना घर कहते हैं। यह अंततः 2047 में विकसित के दृष्टिकोण में योगदान देगा।

संदर्भ:

जनजातीय कार्य मंत्रालय:

https://tribal.gov.in/downloads/Livelihood/Guidelines/PMJVMGuidelines.pdf

https://tribal.nic.in/FRA/data/FRARulesBook.pdf

https://tribal.nic.in/fra.aspx

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247596&reg=3&lang=1

https://trifed.tribal.gov.in/en/division/mfp-for-msp

https://trifed.tribal.gov.in/en/pmvdy

https://trifed.tribal.gov.in/index.php/en/pmvdy/guideline

https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2024-11/Success%20Stories.pdf

https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Frequently%20Asked%20Questions.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335189&reg=48&lang=2

वित्त मंत्रालय:

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap13.pdf

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/एके/एसके